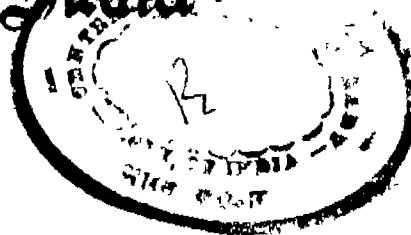


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 196] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 1983/अग्रहायण 7, 1905
No. 196] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 1983/AGRAHAYANA 7, 1905.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 53-ईटीसी(पीएन)/83

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1983

विषय: 1-1-1984 से 31-12-1984 तक स्वीडन की पोशाकों और सिलाई से
बुने हुए पहनाओं का खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत निर्यातों के
लिए योजना।

मिसिल सं० 2(57)/83-ई I:— यह सार्वजनिक सूचना उपर्युक्त विषयक
सार्वजनिक सूचना सं० 41-ईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 14 सितम्बर, 1983 के

अनुक्रम में है। उपर्युक्त अवधि के दौरान स्वीडन की पोशाकों और सिलाई से बने हुए पहनाओं के निर्यात के लिए ऊपर उल्लिखित सार्वजनिक सूचना के प्रावधान “आवश्यक परिवर्तन” के साथ लागू रहेंगे। भारत स्वीडन वस्त्र समझौता के अन्तर्गत निर्यात प्रमाणपत्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस बारे में विधिवत प्राधिकृत किसी भी अन्य निकाय द्वारा जारी किया जाएगा।

एन०के० सभरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 53-ETC(PN)|83

New Delhi, the 28th November, 1983

Subject :— Schedule for exports under OGL-3 of Garments and Knitwear to Sweden from 1-1-1984 to 31-12-1984.

File No. 2(57)|83-EI.—This Public Notice is in continuation to Public Notice No. 41-ETC(PN)|83 dated the 14th September, 1983, on the above subject. The provisions of the above mentioned Public Notice will be applicable “Mutatis-Mutandis” to exports of Garments and Knitweares to Sweden during the above period. The Export Certificate under the Indo-Swedish Textile Agreement will be issued by the Apparels Export Pormotion Council or any other body duly authorised in this behalf.

N. K. SUBHARWAL, Jt. Secy.